न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

1. राजस्व विविध प्रकरण संख्या 127/2005

प्रार्थीः–

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

बनाम अप्रार्थीः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री अब्दुल रहमान जाति छीपा मुसलमान निवासी पाली।
2. श्रीमति सलमा जोजे श्री मोहम्मद शरीफ छीपा मुसलमान पाली
3. श्री मोहम्मद रमजान पुत्र श्री अब्दुल रहमान कौम छीपा मुसलमान साकिन पाली
4. श्री हाजन कमरूनिशा जोजे श्री हाजी मोहम्मद युसुफ जाति चढवा मुसलमान साकिन पाली।
5. श्री फारूख भाई, हमीदभाई पिता हाजी मोहम्मद युसुफजी म.न. 48, छीपों का मोहल्ला, जाकिर हुसैन मार्ग पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश दाधिच, नायब तहसीलदार पाली(सरकारी पैरोकार)
2. श्री मोहम्मद शफी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 377/7/1 रकबा 0.11 बिघा किस्म बारानी दोयम, जमाबन्दी 2064 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्टरी (अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। वाद ग्रस्त भूमि पाली नगर परिषद् सीमा में घनी आबादी के मध्य एवं लगती हुई आई हुई है। जिससे उक्त भूमि मे किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि, प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है एवं आस–पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। जिससे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

03

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

वाद ग्रस्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र मे स्थित नहीं है। जिससे उसका संपरिवर्तन किया जाना भी संभव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो मौके पर अकृषि प्रयोजन किया जाना भी संभव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो मौके पर अकृषि प्रयोजन से कृषि भूमि पर उपयोग किया जा रहा है। उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्रं.स.	नाम प्रतिवादी	खसरा नम्बर	रकबा	उपयोग
1.	फारूख भाई, हमीदभाई पिता हाजी मोहम्मद युसुफजी म.न. 48, छीपों का मोहल्ला, जाकिर हुसैन मार्ग पाली।	377/7/1	0.11 बीघा (115X83 फुट)	फैक्ट्री (हौदा, टेबले बनी हुई है। कार्य काफी समय से बन्द है।)

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील होने के न तो न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं न ही नोटिस का जवाब पेश किया। दिनांक 14.08.2007 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने संयुक्त रूप से जवाब पेश कर निवदन किया कि अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा उक्त भुमि को अकृर्षि कार्य कने के लिये उपयोग व उपभोग करने का अंकित किया है जो गलत है न ही मौके पर फैक्ट्री इत्यादि है ओर न ही किसी प्रकार का उद्योग कार्यरत है बल्कि उक्त भुखण्ड पर मवेशी इत्यादि के लिये घासपुस व चारा रखा जाता है व दिगर हिस्से मे खेती की जाती है जिससे रिजका व पशुआ के लिये तैयार किया जाता है। ख.न. 377/7/1 की भुमि कभी भी अकृर्षि कार्य के लिये उपयोग व उपभोग मे नही ली गई है अप्रार्थी संख्या 04 के हिस्से की भुमि मे कभी भी अकृर्षि कार्य हेतू उपयोग नही किया गया है।

उक्त भुमि सघन आबादी क्षेत्र मे आ गई है उसे चारो तरफ रहवासिय बस्ती बसी हुई है परन्तु यह तथ्य कतई गलत है कि उक्त भुमि पर औद्योगिक इकाईया लगाकर वायु, जल व ध्वनी प्रदूषण किया जा रहा है ऐसी स्थिति मे वाद कारण कतई उत्पन्न नही होता है न ही उक्त भुमि से रसायनिक युक्त पानी का बहाव किया जा रहा हो जिससे अड़ौस पड़ौस की भुमि सारयुक्त हो गई हो। यह सही है कि उक्त परिसर 115X83 फुट के क्षैत्र मे फैला हुआ है और इसमे औद्योगिक इकाई नहीं लगी हुई है न ही उक्त भुखण्ड का अकृषि

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है बल्कि उक्त परिसर पिछले काफी समय से बंद पड़ा है अकाल की वजह से भी उक्त भुमि पर उपयोग नही किया गया था वर्तमान मे अत्यधिक बारिस होने की वजह से उपरोक्त खसरा नम्बर की भुमि मे पानी भरा हुआ है जिससे इस वर्ष कृषि भी नही की जा सकती है उपरोक्त भुमि चारो तरफ से आबादी भुमि मे तब्दील होकर आबादी बसी हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण भी उक्त भुमि को आबादी मे संपरिवर्तन करवाने के लिये तैयार व तत्पर है अप्रार्थीगण द्वारा राज. काश्तकारी अधि. 177 का कतई उल्लघन नही किया गया है। जब से अप्रार्थी संख्या 04 की खातेदारी दर्ज हुई है तब से लेकर आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 04 व 05 द्वारा कतई कभी भी उक्त भुमि को अकृषि कार्य के लिये उपयोग व उपभोग नही किया है।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. सरकारी पैरोकार ने बहस के द्वौरान मूल प्रार्थना पत्र मे तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 377/7/1 रकबा 0.11 बिघा किस्म बाानी दोयम, जमाबन्दी 2064 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्टरी (अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना संपरिवर्तन के हुये आज भी उक्त खसरे मे फैक्ट्री है।

वकील प्रतिवादीगण संख्या 4 और 5 ने निवेदन किया कि सरकारी पैरोकार स्वयं ही कह रहे है कि टेवल बने हुये है और उक्त खसरे पर फैक्ट्री काफी समय से बंद है उक्त भुमि को अकृर्षि कार्य कने के लिये उपयोग व उपभोग करने का अंकित किया है जो गलत है न ही मौके पर फैक्ट्री इत्यादि है ओर न ही किसी प्रकार का उद्योग कार्यरत है बल्कि उक्त भुखण्ड पर मवेशी इत्यादि के लिये घासपुस व चारा रखा जाता है। खसरा नबंर 377/7 को 90 बी हुआ था और अब नगर परिषद् द्वारा पट्टे जारी कर दिय है।

7. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद मौजा मानपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 377/7/1 रकबा 0.11 बिघा किस्म बारानी दोयम वर्तमान मे यह भूमी गैर मूमकीन आबादी मे 90(बी) के तहत दर्ज हो चुकी है। और यहा पर आबादी बस चुकी है। नगर परिषद् पाली ने भूमी पर प्रतिवादी को पट्टे दे रख है। ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार बाहर हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.11.26 18:50:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: